न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया।

आदेश

वाद सं0 एम0 08/2016 दिनांक 19/07/2016

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत।

प्रथम पक्ष– मोहन ओहदार पति स्व0 लच्छु ओहदार ग्राम तुरीबीरा ।

बनाम

द्वितीय पक्ष– पलटु ओहदार ग्राम तुरीबीरा थाना कामडारा,, और बगैरह ।

वाद की कार्यावाही आवेदक श्री मोहन ओहदार पति स्व0 लच्छु ओहदार ग्राम तुरीबीरा थाना बसिया, जिला गुमला के द्वारा न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया में आवेदन दाखिल किया गया जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि **द्वितीय पक्ष** के (1) पलटु ओहदार (2) दिरपाल ओहदार (3) सुखनाथ ओहदार सभी पिता लच्छीमी ओहदार सा0 तुरीबीरा सभी थाना बसिया जिला गुमला के द्वारा आवेदिका के भूमि मौजा तुरबुल के खाता सं0 13 प्लॉट सं0 181, 182, 185, 254, 255, 235 रकबा 0.41, 0.59, 1.55, 1.22, 0.02, 0.82, 0.10 डी0 कुल रकबा 4.71 एकड़ में भूमि संबंधि विवाद है। को द्वितीय पक्ष के सदस्य जबरदस्ती हल चला दिया दिये है, मना करने पर प्रतिवादी मारने पिटने एवं जान से मारने की धमकी देते है। जिसे प्रथम पक्ष डरे हुए है एवं जान माल कि नुकसान की सम्भावंना है। आवेदन के अवलोकन के पश्चात विवादित भूमि को लेकर उभय पक्षों के द्वारा शांति भग होने की संभावना उत्पन्न हो रही है। उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही अंचल अधिकारी, बसिया से विवादित भूमि के संबंध में जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्राचार किया गया जो प्राप्त है।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है।

प्रथम पक्ष के प्राधिकृत अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि ववादित जमीन अन्तर्गत खाता सं0 13 प्लॉट सं0 181, 182, 185, 254, 255, 235 रकबा 0.41, 0.59, 1.55, 1.22, 0.02, 0.82, 0.10 डी0 कुल रकबा 4.71 से संबंधित है जो अभिधारी खाता पुस्तिका में दर्शाया गया है।

उक्त खतियानी रैयत की वंशावली निम्नप्रकार है।

गोपाल ओहदार (खतियानी रैयत)

जयपाल | कृपाल

(जयपाल): द्वारिका | राधा (मृत) | लक्ष्मीनाथ

(लक्ष्मीनाथ): पलटु | मोहन | दिरपाल | सुखनाथ

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

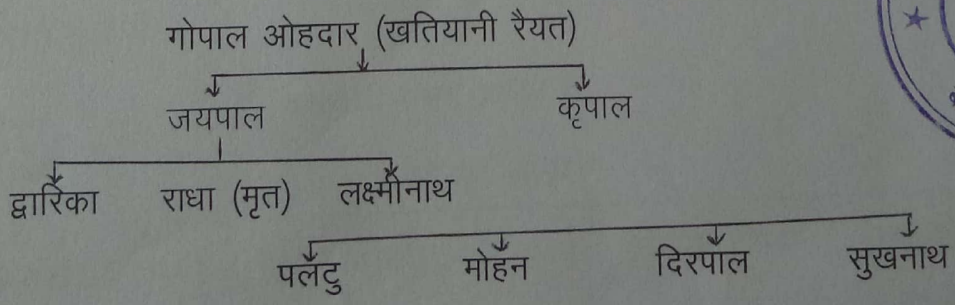

24/07

अनुमण्डल दण्डाधिकारी (गुमला)

Scanned by CamScanner

उक्त विवादित भूमि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष की संयुक्त भूमि है। उक्त भूमि को चारों भाइयों के बीच मौखिक बटवारा 36 वर्षो पुर्व हो चुका है और तब से चारो भाई अपने अपने हिस्से के जमीन पर जोत कोड़ कर रहे है।

प्रथम पक्ष पलटु ओहदार सी0आर0पी0एफ में थे। 1980 में नौकरी छोड़कर आये और अपने बडे भाई पलटु ओहदार के कहे अनुसार 1 एकड़ 18 डी0 में अपने हिस्से का जमीन को खेती योग्य खेत बनाकर सन् 1980 से खेती करते आ रहे है। द्वितीय पक्ष अपने अपने हिस्से के जमीन को ईट भट्टा के लिये मुन्ना साहु बसिया को दिये थे। जिससे उनके हिस्से का जमीन खराब हो गया है वर्तमान में तीनों भाइयों की नजर प्रथम पक्ष के हिस्से के जमीन पर है जिसमें तीनो भाई प्रथम पक्ष को जर्बदस्ती बेदखल करना चाहते है।

यह कि प्रथम पक्ष इस वर्ष भी अपने हिस्से के जमीन पर खेती किया है। द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष के हिस्से के जमीन पर कोई हक व अधिकार नही है। द्वितीय पक्ष द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी अभिधारी खाता पुस्तिका की छाया प्रति प्रस्तुत किये है।

द्वितीय पक्ष के प्रधिकृत अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष लिखित रूप से दाखिल किये है कि विषयगत भूमि उभय पक्ष एक ही पिता के चार पुत्र है। जमीन बटवांरा के लिए ग्राम पंचायत में प्रथम पक्ष द्वारा आवेदन किया गया पंचायत में प्रथम पक्ष द्वारा आवेदन किया गया था लेकिन ग्राम पंचायत का निर्णय को नहीं माने प्रथम पक्ष थाना बसिया से प्रत्यक्ष निर्णय हेतु प्रयास किया गया लेकिन स्वयं प्रथम पक्ष पुलिस प्रशासन की बात नहीं माने द्वितीय पक्ष सरकारी अमीन द्वारा किया गया बंटवारा मानने के लिए तैयार है विषयगत जमीन पर जिसका हिस्से में जमीन पडेगा उस जमीन के अन्दर पेड़ भी उसी का हिस्सा होगा। वर्तमान वर्ष में सम्पूर्ण फसल का बंटवारा चार भाईयों के बीच बराबर बांटा जाय।

द्वितीय पक्ष द्वारा किसी प्रकार का विवादित भूमि से संबंधिम कागजात दाखिल नहीं किये है।

अंचल अधिकारी, बसिया के पत्रांक 321(ii) दिनांक 24/08/2016 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये है कि स्थानीय जॉच एवं भू राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया पाया कि मौजा तुरीबीरा थाना बसिया सं0 121 खाता सं0 13 प्लॉट 181,182,185,245, 254, 255, 235 रकबा 0.59, 0.41, 1.55, 1.22, 0.02, 0.82, 0.10 एकड़ कुल सात प्लॉट का 4.71 एकड़ भूमि का रैयत जैपाल ओहदार बल्द दखीन ओहदार कौम तेली शाकीन देह सर्वे खतियान में दर्ज है। पंजी ii में मौजा तुरीबीरा जैपाल ओहदार थाना बसिया सं0 121 खाता सं0 13 प्लॉट 181,182,185,245, 254, 255, 235 रकबा 0.59, 0.41, 1.55, 1.22, 0.02, 0.82, 0.10 एकड़ कुल सात प्लॉट का 4.71 एकड़ भूमि के रैयत गोपाल ओहदार के उदित वो बरजू वो हरि पेशरान द्वारिका ओहदार वो राधा ओहदार वो लक्ष्मी नाथ ओहदार बल्द जैपाल ओहदार के नाम से पंजी ii के पेज न0 20 में दर्ज है आवेदकगण पंजी ii रैयत का पुत्र है। स्थानीय जॉच के कम में बताया कि प्रश्नगत भूमि को टाका टूकू जमीन बंटवारा मिला था जिसे मेहतनकर खेती लायक बनाया है। द्वितीय पक्ष अपने हिस्से का जमीन का मिट्टी ईट भट्टा को बेच दिया जिसे पत्थर निकला बंजर हो गया तो बोला कि प्रथम पक्ष के हिस्से का दो क्यारी को छोड़ने के लिए कहता है । जिसे आवेदक सहमत नहीं है। दोनो पक्षों के अपने अपने हिस्से में फसल लगा हुआ है।

वंशावली निम्न प्रकार है।

लक्ष्मीनाथ ओहदार

पलटु ओहदार (नावल्द) मोहन ओहदार (आवेदक) दूरपाल ओहदार सुखनाथ ओहदार

थाना प्रभारी बसिया का जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अनुमण्डल पदाधिकारी
बसिया (गुमला)

Scanned by CamScanner

उभय पक्षों द्वारा दाखिल जवाब, कागजातो, बहस, एवं अंचल अधिकारी बसिया के जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि मौजा तुरीबीरा के खाता सं0 13 प्लॉट 181,182,185,245, 254, 255, 235 रकबा 0.59, 0.41, 1.55, 1.22, 0.02, 0.82, 0.10 एकड़ कुल सात प्लॉट का 4.71 एकड़ भूमि अचंल अधिकारी, बसिया के अनुसार रैयत गोपाल ओहदार वो उदित वो बरजू वो हरि पेशरान द्वारिका ओहदार वो राधा ओहदार वो लक्ष्मीनाथ ओहदार बल्द जैपाल ओहदार के नाम से पंजी ii के पेज न0 20 में दर्ज है आवेदकगण पंजी ii रैयत का पुत्र है। इन सभी पंजी ii रैयतो के पुत्रों के बीच संबंधित भूमि के आपसी बंटवारे से संबंधित कोई भी ठोस प्रमाण उभय पक्षो द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार दोनों पक्षों ने आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा की गयी भूमि पर अपने अपने हिस्से के भूमि पर फसल लगा रखा है। यह वाद मूलतः आपसी खतियानी रैयत के चारों पुत्रों के बीच बंटवारे से संबंधित है। प्रश्नगत भूमि की मापी कराकर चारों सर्वसम्मति से बंटवारा कर सकते है।

उक्त स्थिति में धारा 144 के अन्तर्गत उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण –दोष के समाप्त की जाती है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया।

Scanned by CamScanner